न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 07/2014 G.C.M.S. No. 2014/00040 दर्ज दिनांक : 17.09.2014

अपीलार्थिगण:

1. पकीया पुत्र गेनीया
2. बुला पुत्री गेनीया जाति भील निवासी पावली
3. सुकी पुत्री पूनमा जाति भील के कायम मुकाम:–

3/1. अणसी पुत्री सुकी

3/2. कीड़ी पुत्री सुकी

3/3 नागजी पुत्र सुकी निवासी पावली हाल गजीपुरा, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

अपीलांट सुश्री कीड़ी व नागजी नाबालिग जरीये अपनी बहन अणसी पुत्री सुकी जाति भील निवासी पावली, हाल गजीपुरा, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर अपीलांट संख्या 03(1)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. केवा पुत्र माधा
2. सगला पुत्र मानीया
3. पबा पुत्र मानीया
4. मोया पुत्र पूनमा
5. हंसा पुत्र पूनमा
6. भमरा पुत्र पूनमा
7. कडू पुत्री पूनमा
8. लेली बेवा पूनमा
9. मफी पुत्री मानीया
10. गीगी पुत्री मानीया
11. शंकरा पुत्र गेनीया
12. रेसु पुत्री गेनीया
13. सोदरी बेवा गेनीया जातियान भील निवासी पावली
14. शाखा प्रबंधक एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा जसवंतपुरा
15. शाखा प्रबंधक एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा भीनमाल
16. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2011 बअनवान केवा बनाम सगला वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2013 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री सरदार खान खोखर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री भवानी सिंह सान्दू, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 25.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2011 बअनवान केवा बनाम सगला वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

दावा में वर्णित तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 06 सुकी पुत्री पूनमा की मृत्यु दिनांक 20.05.2012 को हो चुकी थी। बावजूद इसके दिनांक 16.04.2013 की प्राथमिक डिक्री व उसके बाद अन्तिम डिक्री दिनांक 27.05.2013 को सादिर फरमा दी। इस प्रकार दोनो डिक्री कानूनी प्रावधानो के विपरित सादिर फरमायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.04.2013 की पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2013 को मौका फर्द बनाई गयी उसमें केवा वादी एवं प्रतिवादी सगला, पबा, मोया, हंजा, भमरा पिसरान पूनमा तथा शंकरा, पकीया पिसरान गेनीया की उपस्थिति मौका फर्द बनात समय समन भी नहीं दिया न ही बुलाया गया यहां तक की मौका फर्द की सूचना भी नहीं दी गई, न ही प्रतिवादीगण के कोई अंगूठा या हस्ताक्षर मौका फर्द पर है, इस प्रकार मौका के समय उनकी उपस्थिति झुठी लिखी है। अपीलांट पकीया, बुला व सुकी को दिनांक 11.01.2011 को पेशी पर उपस्थिति का समन नहीं मिला ना ही समन पर उनकी कोई तामिल है। पकीया अपीलांट ने अदालत में पैरवी बाबत किसी को भी हिदायत नहीं दी गई थी। विवादित आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है जो वर्तमान में भी मौजूद है। बावजूद इसके कानूनी त्रुटियों के आधार पर रेस्पोडेन्ट केवा ने हमारे खिलाफ बेबुनीयाद आधारो पर दावा पेश कर निर्णय करवाया एवं अब पुलिस थाना जसवंतपुरा के जरिये हमको मौके से बेदखल करने आया तब हमे अधीनस्थ न्यायालय में निर्णित हुए दावे की जानकारी हुई। जैर अपील दावा में दशाई हुई खातेदारी हमारी पैतृक सम्पति है। जिस पर कुछ वारिसान के नाम दर्ज हुए तथा कुछ के नाम दर्ज नहीं हुए। इस प्रकार एक बडे परिवार की सम्पति को अकेला केवा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गलत आधारो पर प्राप्त करना चाहता है जबकि उसका हिस्सा 1/3 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था तथा 1/2–1/2 हिस्सा हमारा व केवा का गलत गलत आधारो पर दर्ज हो गया परन्तु मौके पर हमारा कब्जा की खातेदारी अनुसार तीन हिस्सा के अनुसार बंटवाडा होना चाहिये था। डिक्री एवं निर्णय की पालना की ओट में अब केवा 1/3 हिस्सा के अलावा 1/2 पर भी जबरदस्ती कब्जा करने पर तुला हुआ है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 27.05.2013 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 16.04.2013 को निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया तथा दिनांक 27.05.2013 को अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की गयी जिसके विरूद्ध अपीलांट हस्तगत अपील विलम्ब के साथ प्रस्तुत की।
2. अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 23.07.2014 को केवा पुलिस के साथ हमारे बुवाई किये हुए खेत पर आया और हमको कहा कि तुम लोग चले जाओ और कब्जा काश्त केवा को सुपुर्द कर दो क्योकि केवा के पक्ष में एसडीओ कोर्ट में फैसला हो गया है। जिस पर पकीया को एसडीओ कोर्ट भेजा गया और पत्रावली की नकल प्राप्त कर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे है। अतः अपील अपीलांट्स अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।
3. जहां तक म्याद का प्रश्न है तो इस संम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर म्याद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. आर. टी. 2004(2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णित करने चाहिये– तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये। उभयपक्षो की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है, तथा अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. पत्रावली पर उपलब्ध कथित विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में संबंधित हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी पावली द्वारा कथित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तहसीलदार जसवंतपुरा को संबोधित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया। जिसे तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई।

5. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सहखातेदारान को सूचित करते हुए तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं तैयार नहीं कर अपने अधीनस्थ पटवारी से तैयार करवाया गया। तहसीलदार को ऐसा किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तहसीलदार के लिए उक्त प्रावधानों का अनुपालन करना आज्ञापक है। वह अपने उक्त आज्ञापक पदीय कर्तव्यों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। अतः उक्त विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने से विधि विरूद्ध था तथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जो विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हुए पारित करने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2011

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

बअनवान केवा बनाम सगला वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए मुताबिक राजीनामा व प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 15.04.2026 को अधीनस्थ न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भीमराज प्राधिकारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली